

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक :एफ 6 (96) / परि / कर. / मु. / उर्स / ५२५५

जयपुर, दिनांक:- १३.०३.२०१८

अधिसूचना

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार, यह राय रखते हुये कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है एतद् द्वारा केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 88 (8) के अन्तर्गत जारी अनुज्ञापत्रों पर दिनांक 14.03.2018 से 02.04.2018 की अवधि में अन्य राज्यों से अजमेर शहर को आने/जाने वाले समस्त यात्री वाहनों के लिये 6000/- रुपये से अधिक उन करों का परिहार करती है जो राजस्थान कराधान अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के अन्तर्गत उपरोक्त श्रेणी के वाहनों पर देय है।

राज्यपाल के आदेश से,

मेरि
(डॉ. मनीषा अरोड़ा)
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक :एफ 6 (96) / परि / कर. / मु. / उर्स / ५२५६-६४

जयपुर, दिनांक:- १३.०३.२०१८

प्रतिलिपि:- निम्नालिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांकमे प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित अंक की प्रति इस विभाग को भिजवाने हेतु।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री, राजस्थान सरकार।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त।
5. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव।
6. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
7. विधि एवं न्यायिक विभाग, जयपुर।
8. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण, परिवहन विभाग, जयपुर।
9. श्री संजय सिंघल, सिस्टम इनालिस्ट को विभाग की वेबसाइट पर अपडेटिंग हेतु।
10. समस्त प्रादेशिक/अतिरिक्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी।
11. समस्त प्रभारी, कर संग्रह केन्द्र, परिवहन विभाग, राजस्थान।

मेरि
संयुक्त शासन सचिव